राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2322/2025

राकेश कुमार यादव

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 21.04.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुधीर यादव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2021 के द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के अधीनस्थ कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में संदर्भ व्यक्ति (व्याख्याता समकक्ष) के पद पर की गई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आदेश दिनांक 28.10.2024 के द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.03.2025 के द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने के पश्चात अपीलार्थी के के पदस्थापन के संबंध में काउंसलिंग की जानी चाहिए थी। अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में कोई काउंसलिंग नहीं की गई, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी के समान अन्य व्यक्ति जिनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त की गई थी, उन्हें काउंसलिंग के आधार पर पदस्थापित किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर अपीलार्थी को सीधे ही पदस्थापित किया गया है, जो गलत है।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. हम पाते हैं कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 05.08.2021 के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किया गया था। हम पाते हैं कि पैतृक विभाग को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर सकता है। अपीलार्थी को उसके पैतृक विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति समाप्त कर पदस्थापित किया गया है, जिस आदेश में हम कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि अपने किस कार्मिक की सेवा प्रशासनिक आवश्यकता में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि उक्त निर्णय नियम–विरूद्ध या दुर्भावनापूर्वक पारित नहीं किया गया हो। अपीलार्थी के संबंध में पारित पदस्थापन आदेश को हम विधि विरूद्ध होना अथवा दुर्भावना से ग्रसित होना नहीं पाते हैं।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष